



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 12.06.22

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 72/22 धारा 307 भादवि में वांछित/25 हजार रुपये के ईनामी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से

01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ईनामी/शातिर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 72/22 धारा 307 भादवि में वांछित/25



हजार रुपये के ईनामी अभियुक्त हामिद पुत्र अब्दुल्ला निवासी मौ0 भूमिया पसौन्डा थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद हाल निवासी रेलवे स्टेशन के पास मन्दिर वाली गली गुर्जर भवन कस्बा व थाना लोनी जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया है । जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है । उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त हामिद की गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया गया था ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पूर्व में एक अभियुक्त इरशाद पुत्र बरकत अली निवासी ईदरिशपुर थाना बडौत जनपद बागपत को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-हामिद पुत्र अब्दुल्ला निवासी मौ0 भूमिया पसौन्डा थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद।
हाल निवासी रेलवे स्टेशन के पास मन्दिर वाली गली गुर्जर भवन करबा व थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण -

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

अपराधिक इतिहास- अभियुक्त हामिद पुत्र अब्दुल्ला

- 1- मु0अ0सं0 72/22 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2- मु0अ0सं0 598/22 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3- मु0अ0सं0 0024/22 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।
- 4.मु0अ0सं0 192/19 धारा 394 भादवि थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर ।
- 5-मु0अ0सं0 223/19 धारा 307 भादवि थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री विकास कुमार चौहान थाना कोतवाली बागपत ।
- 2- का0 647 प्रवीण भाटी थाना कोतवाली बागपत ।
- 3- का0 351 रोहित भाटी थाना कोतवाली बागपत ।
- 4- का0 698 विकास कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 5- का0 234 दीपक कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 6- का0 243 मनोज खारी थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 12.06.2022

एसआईटी टीम जनपद बागपत पुलिस ने थाना छपरौली के मु0अ0सं0 151/22 धारा 323/504/506/509/306 भादवि में वांछित 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.05.2022 को थाना छपरौली पर वादी श्री महक सिंह पुत्र विजेशिंह निवासी ग्राम बाछौड थाना छपरौली द्वारा दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 151/22 धारा 323/504/506/509/306 भादवि पंजीकृत हुआ था । अभियोग की विवेचना पूर्व में गठित एसआईटी टीम बागपत द्वारा की जा रही है ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत एसआईटी टीम जनपद बागपत पुलिस ने थाना छपरौली के मु0अ0सं0 151/22 धारा 323/504/506/509/306 भादवि में वांछित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. अमित उर्फ छंगा पुत्र हरदेव सिंह निवासी ग्राम बाछौड थाना छपरौली जनपद बागपत ।
2. लोकेश उर्फ लोकेन्द्र पुत्र कैलाश निवासी ग्राम बाछौड थाना छपरौली जनपद बागपत ।
3. राजीव पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम बाछौड थाना छपरौली जनपद बागपत ।
4. शक्ति पुत्र कान्तिप्रसाद निवासी ग्राम बाछौड थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक श्री किरणपाल सिंह (एसआईटी) अपराध शाखा बागपत ।
- 2- का0 1089 अरविन्द कुमार ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 12.06.22

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 471/22 धारा 15(2) 15(b) इंडियन मेडीकल काउंसिल एक्ट व 30 संयुक्त प्रांत चिकित्सा अधिनियम व 420 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.05.22 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी डा0 मुकेश कुमार उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी आर्यनगर कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत द्वारा गैर कानूनी रूप से लोगों का उपचार कर, लोगो से छल एवं उन्हें गुमराह कर अपने आपको फर्जी रूप से डाक्टर बताकर अनुचित ढंग से धन कमाने तथा लोगों की जिन्दगी से खिलवाड करने के सम्बन्ध में दी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 471/22 धारा 15(2) 15(b) इंडियन मेडीकल काउंसिल एक्ट व 30 संयुक्त प्रांत चिकित्सा अधिनियम एवं 420 भादवि में पंजिकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 471/22 धारा 15(2) 15(b) इंडियन मेडीकल काउंसिल एक्ट व 30 संयुक्त प्रांत चिकित्सा अधिनियम एवं 420 भादवि में वांछित अभियुक्त अनिल कुमार को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. अनिल कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी आर्यनगर कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0- श्री विकास चौहान थाना कोतवाली बागपत ।

2-का0 647 प्रवीण भाटी थाना कोतवाली बागपत ।

प्रेस नोट
थाना बिनौली

दिनांक 12-06-2022

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 148/22 धारा 365 भादवि से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 148/22 धारा 365 भादवि से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री दिग्विजय सिंह ।
- 2-है0का0 99 मुनीष शर्मा ।
- 3-म0का0 55 आँचल त्यागी ।

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 160/22 धारा 452/323/352 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.06.2022 को थाना रमाला पर वादी श्री सद्दाम पुत्र हाजी महबूब निवासी ग्राम बिराल थाना रमाला जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त फिरोज, नदीम व साहिस्ता निवासीगण ग्राम बिराल थाना



रमाला जनपद बागपत द्वारा वादी के घर मे घुसकर उसकी पत्नी के साथ हमला कर मारपीट की गई । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 160/22 धारा 452/323/352 भादवि में पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 160/22 धारा 452/323/352 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. फिरोज पुत्र अनीस निवासी ग्राम बिराल थाना रमाला जनपद बागपत ।
2. नदीम पुत्र अनीस निवासी ग्राम बिराल थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सुनहरा सिंह थाना रमाला ।
- 2- का0 621 प्रदीप कुमार थाना रमाला ।
- 3- का0 1104 चक्रपाल थाना रमाला ।